

# कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

-: आदेश :-

क्रमांक/13001 /जि.पं./व्या.पं./2017-18/


कांकेर,दिनांक 13/12/2017

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 11591/जि.पं./व्या.पं./पदोन्नति कांकेर दिनांक 23.11.2017 के द्वारा शिक्षक पंचायत से व्याख्याता पंचायत के पद पर वेतनमान रुपये 5300-150-8300 में पदोन्नति किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शित कालम नम्बर 07 में अंकित संस्था में अधोअंकित शर्तों के अधीन पदस्थ किया गया है ।

निम्न शिक्षक पंचायत मातृत्व अवकाश में होने के कारण दिनांक 10.04.2018 तक पदांकित कालम नम्बर 07 की शाला में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है । शेष निर्देश पूर्ववत रहेगा ।

क्रमांक	व्याख्याता पंचायत का नाम	जाति का नाम	वर्तमान पदांकित संस्था का नाम	विकास खण्ड	आरक्षण प्रवर्ग	पदोन्नति उपरांत पदांकित संस्था का नाम	विकास खण्ड	स्नातकोत्तर विषय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>अंग्रेजी</b>									
5	श्रीमती देवमणी दुर्गे श्रीवास्तव	अजा	शा.मा.शा.आंवरी	चारामा	UR	शा.उ.मा.वि. पुरी	चारामा	अंग्रेजी	

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 जिला पंचायत  
 उत्तर बस्तर कांकेर

पृ० क्रमांक/13002 /जि.पं./व्या.पं./2016-17/

कांकेर,दिनांक 13/12/2017

प्रतिलिपि:-

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर ( छ.ग. ) की ओर
02. संचालक, पंचायत संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ ।
05. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
06. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
07. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला - कांकेर को जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
08. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को जिले के सामाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित
09. डी.पी.एम. जिला पंचायत कांकेर को जिला पंचायत के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड .....जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु । वे संबंधितों के उपस्थिति प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
11. प्राचार्य शा.उ.मा.वि/ हाई स्कूल ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । वे संबंधितों का उपस्थिति प्रतिवेदन खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें ।

12. प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला .....जिला उ.ब. कांकेर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । संबंधित को तत्काल भारमुक्त करें ।
13. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी.....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । वे दिनांक 10.04.2018 तक पदोन्नत संस्था में पदभार ग्रहण करें । समयावधि में पदभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश निरस्त माना जावेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
14. सहायक परियोजना अधिकारी ( स्थापना शाखा ) जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ ।
15. आदेश नस्ती हेतु ।
16. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत  
उत्तर बस्तर कांकेर